



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झुंसी, प्रयागराज - 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhansi, Prayagraj.

roprayagraj@uppcb.in

संदर्भ सं०... 686703 / NGT O.A. No. 391 / 2024

दिनांक... 25/07/2024

E-Mail

To,

The Registrar,

Hon'ble National Green Tribunal,

Copernicus Marg, New Delhi.

E-mail - judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of status report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 24.04.2024 passed in the O.A. No.- 391/2024 News item titled "Blast at firecracker factory in UP's Kaushambi kills seven" appearing in The Hindu dated 26.02.2024.

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 24.04.2024 in the matter of O.A. No.- 391/2024 News item titled "Blast at firecracker factory in UP's Kaushambi kills seven" appearing in The Hindu dated 26.02.2024, the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Dr. S.C. Shukla)
Regional Officer

Copy to:-

1. District Magistrate, Kaushambi for information.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Sri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/NGT, B-235, Sector-19, Noida, for perusal and necessary action please.

Regional Officer

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 391/2024 News item titled "Blast at firecracker factory in UP's Kaushambi kills seven" appearing in The Hindu dated 26.02.2024 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 391/2024 News item titled "Blast at firecracker factory in UP's Kaushambi kills seven" appearing in The Hindu dated 26.02.2024 में दिनांक 24.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"7.....Hence, we implead the following as respondents:-

- (i) Central Pollution Control Board (CPCB) through its Member Secretary;
 - (ii) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through its Secretary;
 - (iii) District Magistrate, Kaushambi.
8. Project Proponent i.e. Fire Cracker Unit and its owner are also required to be impleaded as respondents in this original application but their details are not available. Hence, Counsel for UPPCB is directed to furnish the details of project proponent along with its report and also inform PP about pendency of this original application.
9. Respondent nos. 1 and 2 are represented today.
10. Let notice be issued to respondent no.3 for filing the response at least one week before the next date of hearing.
11. List on 02.08.2024....."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में घटना स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 18.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय मेसर्स न्यू रंगोली फायर वर्क्स, महेवा, भरवारी, थाना-कोखराज, तहसील-चायल, जनपद-कौशाम्बी प्रोपराईटर स्व0 शाहिद अली के पिता श्री शराफत अली उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. मेसर्स न्यू रंगोली फायर वर्क्स नामक पटाखा फैक्ट्री महेवा, भरवारी, थाना-कोखराज, तहसील-चायल, जनपद-कौशाम्बी में स्थापित एवं संचालित थी। श्री शराफत अली निवासी खलीलाबाद, मजरा-असदउल्लापुर, रोही, पो0-भरवारी थाना-कोखराज, तहसील-चायल, जनपद-कौशाम्बी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पटाखा फैक्ट्री को स्थापित एवं संचालित करने हेतु मेरे द्वारा अपने सुपुत्र स्व0 शाहिद अली को किराये पर दी गयी थी। उक्त पटाखा फैक्ट्री भूतल से लगभग 2.5 मी0 ऊँची बाउण्ड्रीवाल के अंदर पूरब-उत्तर दिशा में स्थापित था। उक्त पटाखा फैक्ट्री का जियो को-आर्डिनेट्स 25.561261 लैटीट्यूड एवं 81.500431 लांगीट्यूड पाया गया। निरीक्षण के समय घटना स्थल से लिए गए फोटोग्राफ्स अवलोकनार्थ संलग्न है।
2. पूर्व में संचालित पटाखा फैक्ट्री का स्थलीय विवरण निम्नवत् है:-
 उत्तर दिशा:- सटे दो कमरे का मकान तथा लगभग 200मी0 की दूरी पर ग्राम-महेवा की आबादी स्थित है।
 दक्षिण दिशा:- सटे कृषि योग्य भूमि तथा लगभग 230 मी0 की दूरी पर नगर पालिका परिषद भरवारी की आबादी स्थित है।
 पूरब दिशा:- सटे कृषि योग्य भूमि तथा लगभग 450 मी0 की दूरी पर ग्राम-मुरादपुर की आबादी स्थित है।

4/4





पश्चिम दिशा:— सटे भरवारी—महेवा लिंक मार्ग तत्पश्चात् मेसर्स गौसिया फर्नीचर व 01 अन्य मकान तथा लगभग 240 मी० की दूरी पर नगरपालिका परिषद भरवारी की आबादी स्थित है।

दक्षिण—पश्चिम दिशा:—लगभग 180 मी० की दूरी पर एस०एन० कान्वेन्ट स्कूल, भरवारी स्थित है।

3. उक्त पटाखा फैक्ट्री संचालक स्व० शाहिद अली के पिता श्री शराफत अली द्वारा अवगत कराया गया कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट दिनांक 25.02.2024 को प्रातः लगभग 11:40 बजे हुआ था। पटाखा फैक्ट्री संचालक के पिता द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स न्यू रंगोली फायर वर्क्स के नाम से संचालित थी।
4. पटाखा फैक्ट्री संचालक के पिता श्री शराफत अली द्वारा अवगत कराया गया कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण मेरे पुत्र स्व० शाहिद अली के साथ 06 अन्य लोग मृत हो गये थे, जिनका विवरण निम्नवत् है:—
 - i. शाहिद अली पुत्र श्री शराफत अली, निवासी—खलीलाबाद, भरवारी, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - ii. अशोक कुमार पुत्र गया प्रसाद, निवासी ग्राम—अमहा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - iii. शिवाकांत पुत्र राम भवन, निवासी ग्राम—अमहा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - iv. शिवनारायण पुत्र भोला प्रसाद, निवासी ग्राम—अमहा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - v. जय चन्द्र उफ् दिन्ना पुत्र पुनी पटेल, निवासी ग्राम—बैरिहा ग्रामीण भरवारी, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - vi. हरी लाल पुत्र देवता दीन, निवासी ग्राम—चमन्धा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - vii. सोने लाल पुत्र छोटे लाल, निवासी ग्राम—चमन्धा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
5. पुलिस चौकी—भरवारी एवं थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। थाना—कोखराज में श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० अशोक कुमार निवासी ग्राम—अमहा मजरा असदुल्लापुर रोही, कोखराज, कौशाम्बी द्वारा धारा—154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 25.02.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त 07 व्यक्तियों के अतिरिक्त 05 अन्य घायल होने का उल्लेख किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:—
 - i. राम भवन पुत्र पन्ना लाल, ग्राम—अमहा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - ii. राम नरेश पुत्र ऊदल, ग्राम—अमहा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - iii. राम भवन पुत्र पंचम, ग्राम—अमहा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - iv. मुन्ना लाल पुत्र लल्लू पटेल, ग्राम—चमन्धा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
 - v. मुकेश पुत्र हरी लाल, ग्राम—चमन्धा, थाना—कोखराज, जनपद—कौशाम्बी।
6. पुलिस चौकी भरवारी से मृतकों के संबंध में सूचना प्राप्त की गयी। पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत घटना में कुल 12 लोगों की मृत्यु की सूचना है, जिनमें से 07 लोगों की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी थी, जिनका विवरण रिपोर्ट के बिन्दु सं० 4 पर अंकित है। चौकी प्रभारी ने अवगत कराया कि घटना की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी, मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा की जा रही है, जो प्रक्रियाधीन है। घटना में हुई अन्य 05 मृत लोगों का विवरण निम्नवत् है:—







- i. कैशर अली पुत्र श्री शराफत अली निवासी-खलीलाबाद, थाना-कोखराज, भरवारी, जनपद-कौशाम्बी।
 - ii. मुकेश पुत्र हरी लाल, ग्राम-चमन्धा, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी।
 - iii. राकेश पुत्र राम आसरे कुशवाहा, ग्राम-सिधिया, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी।
 - iv. राजेन्द्र पुत्र राकेश, ग्राम-सिधिया, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी।
 - v. मुन्ना लाल पुत्र लल्लू पटेल, ग्राम-चमन्धा, थाना-कोखराज, जनपद-कौशाम्बी।
7. निरीक्षण के समय मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 की प्रति पटाखा फैक्ट्री संचालक स्व0 शाहिद अली के पिता श्री शराफत अली को प्राप्त करायी गयी, जिसकी प्राप्ति संलग्न कर प्रेषित है।
 8. निरीक्षण के समय स्थल पर पटाखा कारोबार पूर्णतया बंद पाया गया। पटाखा फैक्ट्री संचालक के पिता ने अवगत कराया कि घटना के पश्चात् कारोबार बंद है तथा मेरे दोनों पुत्रों की घटना में मृत्यु हो गयी है। स्थल पर पटाखा से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं पायी गयी तथा घटना स्थल पर घटना के कारण ध्वस्त सामग्री पायी गयी।
 9. घटना स्थल परिसर में एक बोस्वेल एवं एक अदद पक्का वाटर स्टोरेज टैंक (साईज 4मी0 लम्बाई×4मी0 चौड़ाई×0.9 मी0 गहराई) स्थापित पाया गया।
 10. प्रश्नगत पटाखा फैक्ट्री मेसर्स न्यू रंगोली फायर वर्क्स, महेवा, भरवारी, थाना-कोखराज, तहसील-चायल, जनपद-कौशाम्बी को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नहीं किया गया है और न ही इस हेतु आवेदन किया गया था।
 11. पटाखा फैक्ट्री संचालक के पिता से पटाखा फैक्ट्री से संबंधित अभिलेख मांगा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पटाखा फैक्ट्री से संबंधित अभिलेख घटना में जलकर नष्ट हो गया है।
- उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(रामजस प्रसाद)
वैज्ञानिक सहायक


19/07/2024
(कौशल कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियंता


19/7/24
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2),



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): कौशाम्बी

P.S. (थाना): कोखराज

Year (वर्ष): 2024

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0029

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 25/02/2024 21:07

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	286
2	भा द सं 1860	336
3	भा द सं 1860	338
4	भा द सं 1860	304
5	विस्फोटक अधिनियम, 1884	9B

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day रविवार
(दिन):

Date From 25/02/2024
(दिनांक से):

Date To 25/02/2024
(दिनांक तक):

Time Period महर 4
(समय अवधि):

Time From 11:40 बजे
(समय से):

Time To 11:40
(समय तक): बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 25/02/2024 Time (समय): 20:46 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 029 Date & Time 25/02/2024 20:46 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. दक्षिण, 5 Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): किमी (बीट सं.):
(b) Address न्यू गंगोली फायर वर्क्स, खलीलाबाद
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): विनोद कुमार

(b) Father's Name (पिता का नाम): स्व0 अशोक कुमार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अमहा मजरा असदुल्लापुर रोही, कोखराज, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	अमहा मजरा असदुल्लापुर रोही, कोखराज, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9915484022

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	पटाखा फैक्ट्री का संचालक			1. खलीलाबाद, भरवारी, कोखराज, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	पटाखा फैक्ट्री का प्रोपेराइटर			1. खलीलाबाद, भरवारी, कोखराज, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत
3	पटाखा फैक्ट्री के अन्य सहयोगी			1. अजात, कोखराज, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम अमहा मजरा असदुल्लापुर रोही थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी का निवासी हूँ। (न्यू) रंगोली फायर वर्क्स खलीलाबाद भरवारी थाना कोखराज कौशाम्बी के नाम की पटाखा फैक्ट्री मलिकपुर महेवा में संचालित थी, आज दिनांक 25.02.2024 को प्रतिदिन कि भांति मेरे पिता अशोक कुमार पुत्र गया प्रसाद उक्त पटाखा फैक्ट्री में काम करने गये थे, उक्त फैक्ट्री का संचालक शाहिद अली पुत्र सराफत अली निवासी खलीलाबाद भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी का हैं। मेरे पिता अशोक कुमार के साथ मेरे गांव के शिवाकांत पुत्र रामभवन, शिवनारायण पुत्र भोला प्रसाद भी उक्त पटाखा फैक्ट्री में काम करने हेतु गये थे, तथा इन लोगो के साथ जयचन्द्र उर्फ दिन्ना पुत्र पुनी पटेल निवासी बैरिहा ग्रामीण भरवारी, हरीलाल पुत्र देवतादीन निवासी ग्राम चमंधा थाना कोखराज व सोनेलाल पुत्र छोटेलाल निवासी चमंधा, रामभवन पुत्र पन्नालाल, रामनरेश पुत्र ऊदल, रामभवन पुत्र पंचमलाल, निवासीगण ग्राम अमहा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी, राजेन्द्र उर्फ कल्लू पटेल पुत्र राजेश निवासी ग्राम बैरिहा ग्रामीण भरवारी, मुन्नालाल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम चमंधा थाना कोखराज कौशाम्बी एवं अन्य लोग पटाखा

फैक्ट्री में आज दिनांक 25.02.2024 को समय लगभग 11.40 दिन में काम पर गये थे, उक्त आतिसबाजी असेम्बलिंग फिटिंग के दौरान अचानक किसी कारण वश उक्त आतिसबाजी कि फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें वहाँ पर काम करने वाले मेरे पिता 1. अशोक कुमार पुत्र गया प्रसाद उम्र लगभग 50 वर्ष 2. शिवनारायण पुत्र भोला उम्र लगभग 25 वर्ष 3. शिवाकांत पुत्र रामभवन उम्र लगभग 19 वर्ष निवासीगण ग्राम अमहा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी 4. जयचन्द्र उर्फ दिन्ना पुत्र पुनी पटेल उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी बैरिहा ग्रामीण भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी 5. शाहिद पुत्र शराफत अली निवासी खल्लाबाद भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी 6. हरिलाल पुत्र देवतादीन 7. सोनेलाल पुत्र छोटेलाल निवासीगण ग्राम चमंधा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी, आतिसबाजी कि फैक्ट्री में विस्फोट से घायल होने के कारण इन लोगो कि मृत्यु हो गयी है, तथा इस विस्फोट में 1. रामभवन पुत्र पन्नालाल 2. रामनरेश पुत्र उदल 3. रामभवन पुत्र पंचम निवासीगण ग्राम अमहा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी 4. मुन्नालाल पुत्र कल्लू पटेल 5. मुकेश पुत्र हरीलाल निवासीगण ग्राम चमंधा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी तथा अन्य लोग जो गम्भीर रूप से घायल व झुलस गये हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस मदाखा फैक्ट्री विस्फोट की घटना में अन्य लोगो के चोटहिल व मृत्यु होने कि सम्भावना है। इस प्रकार फैक्ट्री संचालक एवं इसके प्रोपेराइटर कि लापरवाही एवं सुरक्षा मानको के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था न किये जाने के कारण यह घटना घटित हुयी है, अतः अनुरोध है, कि आतिसबाजी के फैक्ट्री के संचालक व प्रोपेराइटर तथा सहयोगियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने कि कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी विनोद कुमार पटेल पुत्र स्व० अशोक कुमार निवासी ग्राम अमहा मजरा -असदुल्लापुर रोही थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी। मो०न- 9916484022 दिनांक- 25.02.24 नोट- हे०का०मो०शाह आलम द्वारा मुझ कम्प्यूटर आपरेटर संदीप सिंह द्वारा प्रा.पत्र व जीडी कायमी नकल शब्द व शब्द सीसीटीएनएस पर अंकित करवाया गया।

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद.सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Satya Prakash Singh Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. 162272680 to take up the Investigation
(सं.); (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name INDRA DEV

Rank I (Inspector)

No. 060867624